उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः- 10.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

वर्दी में करुणा की कहानी...

एक वृद्धा, जो भटक गई थी यादों और रास्तों में, महोबा पुलिस ने थामा हाथ, दी सुरक्षा की पहचान, और लौटाई घर की चौखट तक मुस्कान...

"जब वर्दी इंसानियत के रंग में रंग जाती है, तो हर प्रयास एक आशीर्वाद बन जाता है।"

दिनांक 06.11.2025 की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बिलबई में एक वृद्ध महिला अकेली और असहाय स्थिति में बैठी हुई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुँची और महिला को संरक्षण में लेते हुए महिला थाना महोबा लाया गया।

पूछताछ में ज्ञात हुआ कि महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और अपना नाम व पता स्पष्ट नहीं बता पा रही थीं। ऐसे में वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर श्रीमती पूर्णिमा द्वारा लगातार दो दिनों तक महिला की काउंसलिंग की गई। धीरे-धीरे बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि वह जनपद फतेहपुर की निवासी हैं।

इसके बाद फतेहपुर पुलिस प्रशासन के सहयोग के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान अभियान चलाकर महिला के परिजनों की तलाश शुरू की गई।

महिला थाना प्रभारी म0उ0नि0 निकिता शुक्ला के सतत प्रयासों से दिनांक 08.11.2025 को महिला के परिजनों से संपर्क स्थापित हुआ।

तदुपरांत दिनांक- 09.11.2025 को महिला के दामाद श्री कामता प्रसाद पुत्र हरिलाल निवासी गांगपुर, थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर द्वारा नियमानुसार महिला की ससम्मान सुपुर्दगी की गई।

महिला का नाम – प्रेमा यादव पत्नी स्व0 रामरतन यादव उम्र करीब 80 वर्ष निवासी ककरहा मोहल्ला, चौकी आबू नगर, थाना कोतवाली, जनपद फतेहपुर

इस पूरी प्रक्रिया में महिला थाना महोबा की टीम एवं वन स्टॉप सेंटर की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। यह केवल एक पुलिस कार्यवाही नहीं थी, बल्कि संवेदना, समर्पण और इंसानियत का वह पल था जिसने वर्दी को और भी आदरणीय बना दिया।

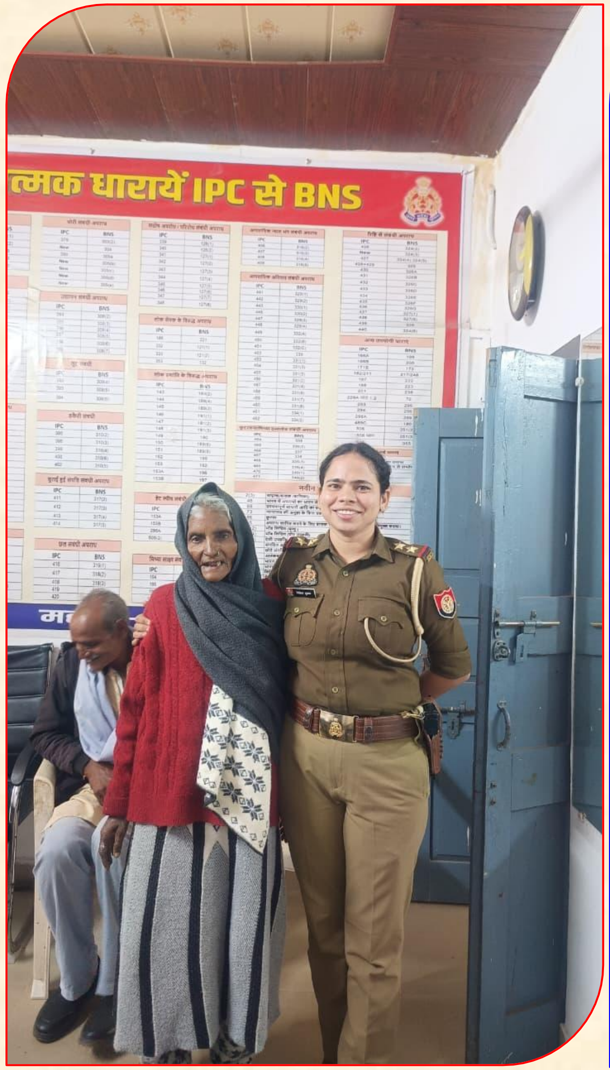

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 10.11.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः– 10.11.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी पुलिस टीम ने 02 किलो अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपद महोबा पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा स्वापक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक- 09.11.2025 को थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम जिसमें उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय मय हमराह हे0कां0 राजकुमार, हे0कां0 दयाराम कुशवाहा व कां0 राहुल यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त 1.शाहरुख पुत्र स्वर्गीय अब्दुल करीम उम्र करीब 26 वर्ष को एक प्लास्टिक की बोरी में 02 किलो गांजा सूखा नाजायज के साथ यात्री प्रतीक्षालय के पास जतौरा रोड़ बहद ग्राम रिवई थाना चरखारी के पास से गिरफ्तार किया है। इस दौरान इसका साथी अभियुक्त दानिश उर्फ बाले पुत्र फरीद मौके से भागने में सफल रहा।

अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु0अ0सं0 252/25 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया। मौके से भागे हुए वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय
2. हे0कां0 राजकुमार 3.हे0कां0 दयाराम कुशवाहा 4. कां0 राहुल यादव

गिरफ्तार/भागे हुए अभियुक्त का विवरण –

1. शाहरुख पुत्र स्वर्गीय अब्दुल करीम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 काशीराम कालोनी दीवानपुरा कस्बा व थाना राठ जिला हमीरपुर
2. भागा हुआ अभियुक्त दानिश उर्फ बाले पुत्र फरीद निवासी मोहल्ला जुलेहटी कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगी- एक प्लास्टिक की बोरी में 2 किलो गांजा सूखा नाजायज तथा एक अदद मोटरसाइकिल न0 यूपी 91Q 2521 सीज सुदा अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट

महोबा पुलिस

थाना कबरई की पुलिस टीम ने जानलेवा हमला करने वाले 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध बन्दूक सहित 02 जिन्दा एवं 01 खोखा कारतूस बरामद-

दिनांक- 09.11.2025 को थाना कबरई क्षेत्रअन्तर्गत ग्राम गुगौरा में संजय सिंह पुत्र अरविन्द सिंह उम्र 23 वर्ष अपने कुछ साथियों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान मोहल्ले का ही पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र 32 वर्ष अपने साथियों के साथ हांथ में रायफल लेकर आया और संजय सिंह पर जान से मारने के नियत से फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के उपरान्त अभियुक्तगण मौके से फरार हो गये। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में मु0अ0सं0 321/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटित घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया, घटना में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीम ने अथक प्रयासों से घटना में संलिप्त 03 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र करीब 32 वर्ष सम्बन्धित मु0अ0सं0 321/25 धारा 109(1)/352/3(5) बीएनएस व 3/25 ए एक्ट के अभियुक्त ग्राम गुगौरा से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक नाली बन्दूक 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद की गयी। साथ ही घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्त 2.कमल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र करीब 27 वर्ष 3.रामऔतार वर्मा पुत्र गौरीशंकर उम्र करीब 35 वर्ष निवासीगण ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा को गंज जाने वाली पुलिया के पास बह्दग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वांछित अभि0गण उपरोक्त को सम्बन्धित माननीय न्यायाधीश के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष कबरई श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया 2.उ0नि0 सूर्यभानसिंह 3.उ0नि0 गौरवचौबे 4. हे0कां0 राजेन्द्र प्रसाद 5. का0 राहुल अग्निहोत्री 6.का0 रवि पटेल

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र करीब 32 वर्ष
2. कमल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह उम्र करीब 27 वर्ष
3. रामऔतार वर्मा पुत्र गौरीशंकर उम्र करीब 35 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा

बरामद सम्पत्ति – अभि0गण के कब्जे से एक नाली बन्दूक 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ